हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योग विभाग

संख्याः इण्ड-ए(ईन्व० सैल)ए(3)-1/2019 तारीख शिमला-2, 11.06.2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) नियम, 2020 है।
- (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) ''अधिनियम'' से, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) अभिप्रेत है;
 - (ख) ''वाणिज्यिक प्रचालन का प्रारम्भ'' से, वह तारीख अभिप्रेत है, जिस से उद्यम इन नियमों के अधान दिए गए आशय की घोषणा से, संबंधित विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय या आपूर्ति या बीजक या कर बीजक का या दी गई सेवाओं का पहला बिल जारी करता है;
 - (ग) ''आशय की घोषणा'' से, अधिनियम की धारा 5 के अधीन उद्यम द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में इन नियमों से संलग्न ''प्ररूप – ।'' में एक दस्तावेज अभिप्रेत है; और
 - (घ) ''धारा'' से, अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।
- 3. 'आशय की घोषणा' प्रस्तुत करने की प्रकिया.— (1) अधिनियम के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र चाहने वाला प्रत्येक उद्यम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोडल एजेंसी को इन नियमों से संलग्न 'प्ररूप—।' में सम्यक् रूप से भरी गई 'आशय की घोषणा' प्रस्तुत करेगा।



- (2) उद्यम 'आशय की घोषणा' के साथ हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, के साथ रिजस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित प्रस्तावित भवन का एक नक्शा अपलोड करेगा।
- (3) 'आशय की घोषणा' निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी,-
 - (क) स्वामी के अधीन उद्यम की दशा में, स्वत्वधारी;
 - (ख) भागीदारी उद्यम की दशा में, प्राधिकृत भागीदार; और
 - (ग) उद्यमों या कंपनी के अन्य रूपों की दशा में, प्राधिकृत व्यक्ति।

स्पष्टीकरण.— इन नियमों के प्रयोजन के लिए, किसी उद्यम में वे उद्यम सम्मिलित होंगे, जहां क्षमता या आधुनिकीकरण या विचलन के विस्तार के प्रयोजन के लिए संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि नहीं की जाती है और जिसे विभाग द्वारा अभिलेख में लिया गया हो।

- 4. अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया.— सर्वथा सम्पूर्ण 'आशय की घोषणा' की प्राप्ति पर 'अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र' इन नियमों से संलग्न ''प्ररूप—2'' में नोडल एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में प्रदान किया जाएगा, जिसमें 'आशय की घोषणा' की प्राप्ति की तारीख और अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अविध दर्शायी गई हो।
- 5. नोडल एजेंसी के कृत्य.— (1) नोडल एजेंसी, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समन्वय और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- (2) निदेशक, इन नियमों के अधीन उद्यमों की शिकायतों और प्रश्नों को प्राप्त करेंगे और उनका निवारण भी करेंगे और यदि आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी के साथ उनके विवाद्यकों को भी सरल बनाएंगे।



- (3) निदेशक, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का अनुरक्षण करेगा और आशय की घोषणा और अभिरवीकृति प्रमाणपत्र का अभिलेख रखेगा।
- (4) नोडल एजेंसी, अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी करने पर आशय की घोषणा और उद्यम का अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार। पृष्ठांकन स० इण्ड-ए(ईन्व० सैल)ए(3)-1/2019 तारीख शिमला-2,11.06:2020 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 2. प्रधान सचिव (मुख्य मंत्री), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
- 3. सचिव (राज्यपाल), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
- 4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 5. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश
- 6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
- 8. निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला -1
- 9. सभी मंत्रियों के व0 निजी सचिव/निजी सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
- 10. उप सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2, को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 26–02–2020 के मद संख्या– 03 के संदर्भ में।

(आबिद हुसैन सादिक) विशेष सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्ररूप -।

(नियम 3 देखें)

आशय की घोषणा

	आवेदक का व्यकि	तगत विवरण
1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	लिंग (पुरूष / महिला / अन्य)	
4.	आवेदक की आधार संख्या	
5.	मोबाइल नम्बर	
6.	टेलीफोन नम्बर	
7.	ई-मेल आई डी	
8.	पत्राचार का पता	
	उद्यम की र	नूचना
9.	उद्यम का नाम	
10.	संगठन का प्ररूप	
	(सांपात्तिक /भागीदारी/कम्पनी	
	प्राइवेट लिमिटिड / पब्लिक	
	लिमिटिड / एलएलपी / अन्य)	
11.	पैन नम्बर	
12.	उद्यम के प्रमुख क्रियाकलाप / प्रदान	
	की जाने वाली सेवा	
13.	उद्यम की श्रेणी	
	(सूक्ष्म / लघु / मध्यम)	
14.	इकाई का प्रकार (नई/विस्तारित)	
	उद्यम के विनिर्माण/सेवा का	र्यकलाप की अवस्थिति
15.	प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर/ भवन	
	नम्बर	
16.	परिसर / भवन का नाम (यदि	

	लागू हो)	
17.	सड़क / गली / लेन	
18.	गाँव / कस्बा / शहर	
19.	तहसील	
20.	जिला	
21.	पिन कोड	
22.	कृपया रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रस्ताव/ परियोजना/उद्यम के निर्माण की योजना अपलोड करें (नीचे (v) पर घोषणा के अनुसार)	

घोषणा

में		पुत्र				आर्	Ţ	निव	ग्रसी
			यह क	थन कर	ता हूं 1	कि मैं	मैसर्ज	f	
क	ा प्राधिकृत हर	स्ताक्षरकर्ता हूं	और एतद्	द्वारा नि	म्नलिरि	खत घ	ोषणा	करता	हूं और
वचन देता	हूं कि:–								
(i)	मैं प्रमाणित	करता हं वि	र्हिमाचल	प्रदेश	सक्ष	ਕ ਬ	और	मध्यम	त्रहाम

- (i) मैं प्रमाणित करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 के अधीन आशय की घोषणा में दी गई सूचना और तद्धीन बनाए गए नियम मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छुपाई नहीं गई है।
- (ii) मेरे द्वारा हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 और तद्धीन बनाए गए नियमों को पढ़ लिया गया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूं। उपरोक्त विवरण में परिवर्तन की दशा में, शीघ्रातिशीघ्र नोडल एजेंसी को सूचित किया जाएगा।
- (iii) मैं उद्यम जो एक नव उद्यम है के लिए आशय की घोषणा प्रस्तुत कर रहा हूं।
- (iv) मैंने आशय की घोषणा में उद्यम के विनिर्माण / सेवा कार्यकलाप की अवस्थित यथावर्णित भूमि या भवन या परिसर के लिए अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र का पूर्व में उपयोग नहीं किया है।
- (v) मैं यह वचन देता हूं कि उद्यम स्थापित करने के लिए भवन / संरचना की प्रस्तुत भवन योजना, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ रिजस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा तैयार की गई है और यह हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और तद्धीन बनाए गए नियमों के

अनुसार है।

- (vi) मैं कर्मकारों या कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु उद्यम के प्रचालन में सुरक्षा मानकों का अनुरक्षण करूंगा।
- (vii) मैं ऐसी किसी भी विनिर्माण या सेवा कार्यकलाप में शामिल नहीं होऊँगा जो किसी भी विधि के अधीन निषिद्ध है या जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता हो।
- (viii) मैं राज्य में उद्यम स्थापित करने हेतु प्रवृत विद्यमान अधिनियमों / नियमों / आदेशों / अनुदेशों के उपबन्धों से भली भान्ति अवगत हूं और इन समस्त लागू अधिनियमों / नियमों / आदेशों / अनुदेशों का पालन करूंगा।
- (ix) मैं अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर या उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के प्रारंभ से पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, सभी अपेक्षित मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करूंगा।
- (x) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि उद्यम अधिनियम की किसी भी अपेक्षा का पालन करने में विफल रहता है, तो सुसंगत विधि द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित कार्रवाई उद्यम के विरूद्ध की जा सकेगी।

स्थान :

तारीख:

प्ररूप — 2

(नियम ४ देखें)

अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र

मैसर्ज द्वारा हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 के अधीन
श्री / श्रीमति / अन्य (नाम और प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का पद्नाम) के माध्यम से (विनिर्माण / सेवा) उद्यम
स्थापित करने / विस्तारित करने हेतु आशय की घोषणा दर्ज की गई है।
उद्यम के लिए आशय की घोषणा की रसीद निम्नलिखित विवरणों के साथ स्वीकार की जाती है:

	अभिस्वीकृति विवरण				
1.	अभिस्वीकृति संख्या				
2.	अभिस्वीकृति की तारीख				
	(तक विधिमान्य या उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के प्रारंभ की तारीख, जो भी पूर्वतर हो)				
3.	उद्यम का नाम				
4.	संगठन का प्ररूप				
٠5.	पत्राचार का पता				
6.	उद्यम के विनिर्माण/सेवा कार्यकलाप की अवस्थिति				
7.	उद्यम की श्रेणी				
8.	उद्यम के प्रमुख क्रियाकलाप/प्रदान की जाने वाली सेवा				

1. अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया है।

- 2. उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, यह उद्यम को अधिकार देता है:
 - (क) अधिनियम की अनुसूची में यथा निगमित राज्य विधियों के अधीन अनुमोदन से छूट।
 - (ख) कोई भी सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की अनुसूची में यथा निगमित राज्य विधियों के अधीन किसी भी अनुमोदन के प्रयोजन या के संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

(जारीकर्ता प्राधिकारी का पद)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind.-A(Inv.Cell)A(3)-1/2019, dated \$1-06-2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh Department of Industries

No. Ind-A(Inv.Cell)A(3)-1/2019 Dated, Shimla-2, the

11.06. 2020.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 (Act No.1 of 2020), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
 - 2. **Definitions.** (l) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 (Act No. 1 of 2020);
 - (b) "Commencement of Commercial Operation" means the date on which the enterprise issues the first bill of sale or supply or invoice or tax invoice, of the goods manufactured or services rendered relating to Declaration of Intent furnished under these rules;
 - (c) "Declaration of Intent" means a document in "Form-I", appended to these rules in electronic format, for furnishing the information by the enterprise under section 5 of the Act; and
 - (d) "section" means section of the Act.
- (2) Words or expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Procedure for furnishing 'Declaration of Intent'.- (1) Every enterprise seeking Acknowledgment Certificate under the Act shall furnish a duly filled



'Declaration of Intent' to the Nodal Agency in "Form-I" appended to these rules, electronically on the portal.

- (2) The enterprise shall upload a map of the proposed building certified by an architect registered with the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, alongwith the 'Declaration of Intent'.
 - (3) The 'Declaration of Intent' may be submitted by,-
 - (a) the Proprietor, in case of proprietary enterprise;
 - (b) the authorized partner in case of partnership enterprise; and
 - (c) the authorized person in case of other forms of enterprises or company.

Explanation: For the purpose of these rules, an enterprise shall include the enterprises, where an increase by not less than twenty five percent is done in the value of the plant and machinery for the purpose of expansion of capacity or modernization or diversification and taken on record by the department.

- **4. Procedure for grant of Acknowledgement Certificate.** On the receipt of 'Declaration of Intent' complete in all respects, the 'Acknowledgment Certificate' shall be granted in electronic format by the Nodal Agency in "Form-II" appended to these rules, stating the date of receipt of 'Declaration of Intent' and the period of validity of Acknowledgment Certificate.
- **5. Functions of the Nodal Agency.-** (1) The Nodal Agency shall act as the coordinating and implementing agency for carrying out the purposes of the Act.
- (2) The Director shall receive and address the grievances and queries of enterprises under these rules, including facilitation of their issues with the Competent Authority, in case needed.
- (3) The Director shall maintain the electronic portal for carrying out the purposes of the Act and keep record of Declaration of Intent and the Acknowledgment Certificate.
- (4) The Nodal Agency shall, on issuance of Acknowledgment Certificate, forward the Declaration of Intent and the Acknowledgment Certificate of enterprise to the Competent Authority.

By order

Ram Subhag Singh Addl. Chief Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh.



Endst. No.: Ind-A(Inv.Cell)A(3)-1/2019. Dated Shimla-2, the 11 June, 2020.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 2. The Pr. Secretary to Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 3. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 4. All Administrative Secretaries, Government of Himachal Pradesh. Shimla-2.
- 5. All Divisional Commissioners, Himachal Pradesh.
- 6. All Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7. All Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Director of Industries, Himachal Pradesh, Udyog Bhawan, Shimla-l.
- 9. The Sr. Private Secretary/P.S. to all Ministers, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 10. The Deputy Secretary (GAD) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2, w.r.t. Item No. 03 of the Cabinet Meeting held on 26.02.2020.

(Abid Hussain Sadiq)
Special Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh.
Phone No. 0177-2621902.

FORM-I {See rule 3} Declaration of Intent

	Personal detai	ls of Applicant		
1.	Name of Applicant			
2.	Father's Name			
3.	Gender (Male/Female/Others)			
4.	Aadhaar Number of applicant			
5.	Mobile Number			
6.	Telephone Number			
7.	Email id			
8.	Correspondence address:			
	Enterprise I	nformation		
9.	Name of the Enterprise			
10.	Type of Organization			
	(Proprietary/ Partnership/ Company Private Limited/ Public Limited/ LLP/ Others)			
11.	PAN Number			
12.	Major Activities of Enterprise/ Services to be provided			
13.	Category of Enterprise (Micro/ Small/ Medium)			
14.	Type of Unit (New/Expanded)			
	Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise			
15.	Plot No. /Khasra No./Building No.	-		
16.	Name of premise/building (in case applicable)			
17.	Road/Street/Lane			

1	8.	Village/Town/City		
1	9.	Tehsil		
2	0.	District		
2	1.	PIN Code		
2	2.	Please upload the building plan of the proposal/project/enterprise duly certified by the registered architect {as per declaration (v) below}		
		Declara	tion	
	 S			
i) I certify that the information furnished in Declaration of Intent under the Himacha Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 and the rules made there under is true, correct and complete to the best of my knowledge and belief and no material information has been concealed.				
ii)	I have read the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 and the rules made there under and undertake to abide by them. In case of changes in above details, the same will be intimated to the Nodal Agency at the earliest.			
iii)) I am furnishing the Declaration of Intent for the enterprise which is a new enterprise.			
iv)	iv) I have not previously availed the Acknowledgement Certificate for the land or building or premises as mentioned in 'Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise in Declaration of Intent.			
v)	the e	I undertake that the submitted building plan of the building/structure for establishing the enterprise has been prepared by an architect registered with the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh and the same is as per the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and rules framed thereunder.		
vi)		I will maintain the safety standards in operation of the enterprise to ensure safety and health of the workers or employees.		
vii)	I wil	I not engage in any manufacturing or so	ervice activity which is prohibited under any	

law or which may pose serious threat to public health or law and order.

- viii) I am well aware of provisions of existing Acts/Rules/Orders/Instructions in force for setting up of an enterprise in the State and will abide by all these applicable Acts/Rules/Orders/Instructions.
- ix) I will obtain all requisite clearances/approvals within three years from the date of issuance of Acknowledgement Certificate or before the commencement of commercial production/operation, whichever is earlier.
- x) I further declare that in case the enterprise fails to adhere to any of the requirements of the Act, action as required by or under the relevant Law may be initiated against the enterprise.

n		
\mathbf{p}	lace	0
1	acc	

Date:

FORM-II

{See rule 4}

Acknowledgment Certificate

M/S		has filed a Declaration of Intent				
through	through Sh./Smt./others (name and designation of					
authoriz	authorized signatory), under the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises					
	(Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 to set up/expand a					
	(Manufacturing/Sei	vice) enterprise.				
The rece	eipt of the Declaration of Intent fo	or the enterprise is hereby acknowledged with				
followin	g details:					
	Acknowle	edgment Details				
1.	Acknowledgment Number					
2.	Date of Acknowledgment					
	(valid upto or the date					
	of commencement of					
	commercial production/ operation, whichever is earlier)					
	operation, whichever is eartier)					
3.	Name of the Enterprise					
4.	Type of Organization					
5.	Correspondence address					
	T 016 0					
6.	Location of Manufacturing/ Service Activity of Enterprise					
Q47000						
7.	Category of Enterprise					
8.	Major Activities of Enterprise/					
	Services to be provided					

- 1. The Acknowledgement Certificate is issued under the provisions of section 5 of the said Act.
- 2. Subject to provisions of the said Act and the rules made there under, it entitles the enterprise:
 - (a) Exemption from approvals under the State Laws as incorporated in SCHEDULE of the Act.
 - (b) No Competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval under the State Laws as incorporated in SCHEDULE of the Act.

(Designation of the Issuing Authority)